(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

जेसराज धत्तरवाल बनाम सरकार

[illegible]स्म मुकदमाः–88 आर0टी0ए0 व 136 एल0आर0एक्ट

GCMS:-2022/240

प्रकरण संख्याः–09/2022

[illegible] व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 06.04.2026

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी के नाम से तहसील सूरतगढ़ के ग्राम गोपालसर बारानी के खाता संख्या 88/184 जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खसरा संख्या 414/178 में 6.325 हैक्टर बारानी, खाता संख्या 87/185 के खसरा संख्या 177/2 में 3.036 हैक्टर बारानी व चक 8 एम.सी. के खाता संख्या 26/17 का पत्थर नं. 238/52 का किला नं. 1 ता 6, 14 ता 17 में 2.530 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। वादी जेसराज धत्तरवाल पुत्र हनुमान राम को रोही गोपालसर बारानी में टी0सी0 भूमि आवंटन हुई थी जो जरिये मिसल संख्या 876/2007 निर्णय दिनांक 04.06.2007 को रोही गोपालसर के खसरा संख्या 177/2 में 12.00 बीघा बारानी व खसरा संख्या 178/4 में 25.00 बीघा बारानी कुल 37.00 बीघा बारानी भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा पुख्ता आवंटन की गई। जिस पर वादी का कब्जा शुरू से ही चला आ रहा है। उक्त भूमि डी–कॉलोनी क्षेत्र में आने पर उसके खातेदारी अधिकार भूमि वादी को प्रदान कर दिये गये। किन्तु जमाबन्दी तैयार करते समय वादी का नाम जेसराज धत्तरवाल पुत्र हनुमान के स्थान पर जैसाराम पुत्र हनुमान जाति जाट दर्ज कर दिया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भिन्नता होने के कारण वादी को काफी परेशानी होती। सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहा है। इसलिये वाद वादी स्वीकार किया जावें।

राज पैरोकार ने जवाब स्टैट को दोहराते हुए निवेदन किया कि अलग–अलग खाता में अलग–अलग नाम दर्ज है। जो कि वादी के नाम की भिन्नता दर्ज करते है। वादी की मूल आवंटन पत्रावली से दस्तावेज मिलान किया जाकर राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए आदेश प्रदान करें।

वकील अधिवक्ता व राज पैरोकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गोपालसर बारानी के खाता संख्या 88/184 जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खसरा संख्या 414/178 में 6.325 हैक्टर बारानी, खाता संख्या 87/185 के खसरा संख्या 177/2 में 3.036 हैक्टर बारानी व चक 8 एम.सी. के खाता संख्या 26/17 का पत्थर नं. 238/52 का किला नं. 1 ता 6, 14 ता 17 में 2.530 हैक्टर कमाण्ड में अपना नाम जेसराज धत्तरवाल पुत्र हनुमानराम जाति जाट दर्ज करने का निवेदन किया है। वादी ने वाद पत्र की मद संख्या 3 में अंकित किया है कि **"उक्त जैरवाद भमि के खातेदार अधिकार भी प्रदान कर दिये गये। बरवक्त तैयारी जमाबंदी वादी का नाम जेसराज धत्तरवाल पुत्र हनुमान के स्थान पर जैसाराम पुत्र हनुमान जाति जाट दर्ज कर दिया गया।"** जबकि अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 09.04.2025 को फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत खातेदार की मूल [illegible] संख्या 1093/2008 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं मूल आवंटन पत्रावली की [illegible] से स्पष्ट है कि आवंटन एवं खातेदारी अधिकार [illegible] जैसाराम पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन गोपालसर अंकित था। उसी आधार पर जमाबंदी में अंकन आया है। उक्त दस्तावेज [illegible] पर प्रदर्श अंकित नही करवाये गयें है। वादी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। जिससे यह साबित हो कि उक्त भूमि में जेसराज धत्तरवाल पुत्र हनुमान जाति जाट का अंकन आया हो। वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में भी स्वयं के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 06.04.2026

शपथ के अलावा अन्य किसी के मौखिक साक्ष्य नही करवायें है। वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि जिस भूमि की घोषणा वह अपने पक्ष में करवाना चाहता है। वह काश्तकार वह स्वयं है। ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड व पहचान से यह साबित नही होता है कि जैरवाद रकबा की भूमि का काश्तकार वादी है। इसलिये सन्देह से परे साबित करने में वादी असफल रहा है। इसलिये वाद वादी अस्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी अस्वीकार किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(भरत जयप्रकाश मीना)आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1.जेसराज धत्तरवाल पुत्र हनुमान राम जाति जाट निवासी ग्राम लालगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–वादी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादी

वाद पत्र धारा–88 आर.टी. एक्ट एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम मुकदमा नं. 09 वर्ष 2022 (GCMS No. 2022/240) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री सर्वजीत छाबड़ा व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

वाद वादी अस्वीकार किया जाता है।

नोज......ग...... मुबलिग......ग...... बाबत......ग...... खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह......ग...... फस्दों की पालना......ग...... आज की तारीख से तारीख वसूलिया तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 06/04/2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:54 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)